> कीई भी देश अपने मुल निवायियों को कुछ किरोप अखिकार देता हैं इन अखिकारों को ही नागरिकता कहा जाता हैं। चारत में एकहरी नागरिका हैं। अर्थान, हम केवल देश के नागरिक हैं। राज्यों को नागरिक नहीं ब कल्की निवासी हैं। सारत में नागरिकता ब्रिदेन से लिया गया हैं।

भारत कि नागरिक 1950 के शिह्मिनवम प्रश्नास्त है नागरिकता में पहली वार संयोधन 1986 में किया गया था

-) मागरिक होने के कारण PAN Oosed, Adhaz Oosed दिया जाता है। और मागरिक की यह सुविद्या उपलब्दा मही है।

→ नागरिकता कि चर्चा भाग-2 में अन्चेह्द (5-11) तक हैं।

अनुरहेद 5 → संविद्यान के क्या प्रारंभ में दी गई नागरिक्ता अर्थात नव संविद्यान बना में उन सभी लोगों को नागरिक्ता दि गई। नो उस समय भारत के अंदर थे।

अनुच्हेंद 6 -> पाकिस्तान से भारत में क्षाये लोगों का नागरिका किनु यदी वह संविधान वनने के बाद काएों तो नागरिका नहीं मिलेंगी |

अनुद्देद म अध्वर्तत्रमा के बाद भारत से पाकिस्नान चले गरे ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लोटे भार तो इन्हें नागरिकता दे दी नाएगी। - गमाहकता -कीई भी देश खाजी मुंग निवासियों की कुछ तिवांच आह्या हुए

हानक हुन राविवास के अधान पारिस मे

अनुचेंद 8 → विदेश भ्रमण एवं मैंकरी करने पर भारत कि माणिरकता समाप्त नहीं होगी।

मार मान कि नागरित 1986 के व्यविभिन्न मान किया मान किया मान के विभाग में

भनुद्देद 9 > विदेशी नागरिकता लेने पर भारत कि नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी

अनुच्हेद 10 -> भारतीयों कि नागरिकता बनी रहेगी तब तक अब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते।

अनुन्हेद 11 - नागरिका। यंवेची कानुन संसद वनाती हैं गृह विक्रोदारी गृहमैत्रालय की दी गई हैं।

मारत में नागरिकता प्राप्त करने की पाँच विश्वियां है।

(i) जन्म के आखार पर — भारत में जन्म लेने वाले सभी वच्ची की नागरिकता दि नाऐगी, श्रदी अनके माता - पिता भारत के नागरिक हो तो. ह्य-हम सभी)

- (ii) विदेश में अन्म लेने वाले वच्चों को भी नागरिकता दिआवेगी। थदी उसके माता-पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो छ-शिखर धवन
- (iii) किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर अहाँ के लोगी की नागरिकता दे दि आकेंगी।सिक्कीम का भारत में किन्य होने के बाद वहाँ के निवासी को दि गई नागरिकता वंगला देश के स्थाना निर्म को नागरिकता।
- (iv) पंजीकरण : इस विद्यी दारा मागरिकमा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगामार भारत मे रहना होगा। इस विद्यी द्वारा राष्ट्रमेंब्ल देशों को मागरिकमा दि जामी है।
- (v) देशीकरण : वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही आनता हो, भारत के प्रति सकरात्मक सोच रखता है। वैज्ञानिक या कला मे निप्रण हो साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो।
- * अध्यक्ष नागरिकता इसे २००५ में लेहमी मल सिंधवी समिती होरा जोड़ा गया। ये वहें - वहें उद्योगपतियों को दिया जाता है। जो विदेशी नागरिकता ग्रह्मा कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति विना ४००० विक भारत क्षा सकता है।

निष्ण के सा अने पर गृह मैंत्रालय हारा नागरिकता प्रभाव के सा अने पर गृह मैंत्रालय हारा नागरिकता समाप्त कि आ सकरी ही

| Ader के एकिया के कि * VISA -> किसी इसरे देश में जाने के लिए अनुमति की भाषश्यता होती है। उस असारी ने के लिए अनुमति की अभिश्यमा होती है। इस अनुमित्र को ही VICA कहते हैं। जिना VICA किसी दुझरे देश में प्रवेश मही कर सकते। 11 मि क्यार तह सिकामी विद्यान की है । माध्यान के निविक विस्ता होते के बाद तहाँ के जिससी की है गई जान कि कि * PASSPORT -> अपने देश की होड़कर दूसरे देश में आने के 11 11 11 11 निष्ठ खुद अपने देश से अनुमती लोनी पड़ती ही जिसे Passport कहते हैं। किही कह मार्च कारत में राजा होगा इस विसी CONTRACTOR STREET STREET THE PROPERTY OF मत कि वह दी हैं। विदेश वार मही करने (४) देशीकाणां चेला व्यक्ति की अगरत के विश्वी एक शासा को हो क्लाम्ह हिंगाल के अपने साम्याताल सीच रखा है। याना ते E कार 1 के किए प्राप्त के साथ के किए कि प्राप्त के किए कि एक कि क्षितार प्रका कि विभागिति हैं। कि कि विभागिति की अराप मार्क विकास स्थापन पारता जाता व्यापी कराया । अराप कि । प्रकारिका पारता वाला कराया । अराप कि । प्रकारिका पारता वाला कराया । अराप कि । प्रकारी वाला । के आया आ भारत के है जार किर मार दार के मार्ग महा किर महिल्ला है प्रकात के बार गर गर गर निर्मा है। है। है। रामाप्र कि जा राजनी है। जा प्रामाप्र